

RTI matter/ Time Bound

Government of India Ministry of External Affairs New Delhi

21 January 2021

No. E/551/1/2020-RTI

To:

Subject: Information sought under Right to Information Act, 2005

Sir,

Please refer to your RTI application bearing Registration No. MOEAF/R/P/20/00466 addressed to Ministry to RTI cell, Ministry of External Affairs, New Delhi received by this Division on 30 December 2020.

- 2. The information sought is not available with the undersigned CPIO. It may be noted that under the provisions of RTI Act, 2005, a CPIO/Public Authority is under obligation to provide an applicant only that information which exists in the records and that which is held by or under the control of that authority.
- 3. If you are aggrieved with this reply, you may file an appeal to Shri Satish K. Sivan, Director (East Asia) & Appellate Authority, Ministry of External Affairs, South Block, New Delhi -110001, within a month from the date of receipt of this letter.

Yours faithfully,

(Karthik G. Iyer)
DS (China) & CPIO
Room no. 270 A, South Block,
New Delhi – 110001
Telefax: 23011356

Email: dschina2@mea.gov.in

CC to:

1. Shri Arun Kumar, Under Secretary (RTI), MEA, New Delhi

RTI REQUEST DETAILS (आरटीआई अनुरोध विवरण)			
Registration Number (पंजीकरण संख्या) :	MOEAF/R/P/20/00466	Date of Receipt (प्राप्ति की तारीख) :	30/12/202
Type of Receipt (रसीद का प्रकार) :	Manually Transferred from Other Public Authority without Payment	Language of Request (अनुरोध की भाषा) :	English
Status (स्थिति)(Rural/Urban) :	Details not provided	Education Status :	Details no
Requester Letter Number(निवेदक पत्र संख्या) :	Details not provided	Letter Date :	Details no provided
Is Requester Below Poverty Line ? (क्या आवेदक गरीबी रेखा से नीचे का है?) :	No	Citizenship Status (नागरिकता)	Indian
Amount Paid (राशि का भुगता न) :	0 (Received by Ministry of External Affairs) (original recipient)	Mode of Payment (भुगतान का प्रकार)	
Does it concern the life or Liberty of a Person? (क्या यह किसी व्यक्ति के जीवन अथवा स्वतंत्रता	No(Normal)	Request Pertains to (अनुरोध निम्नलिखित संबंधित है) :	US (China
से संबंधित है?) :			

सेवा में

लीक सूचना अधिकारी 11966/20 प्रधान मंत्री कार्मालय सम्मारत स्रकार CH DEC XOLD

SIGN STATE OAT PECTON

16-16 6

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचनारें प्रथान किस जाने के खेद भें प्रार्थना-पन

महोदय, भिनेदन हैं कि गत कुछ समय प्रवे पूरे देश की यह जानकारी विभिन्न प्रेस रूनं न्यू मनेनल के माध्यम से हुई कि भारतीय राष्ट्रीय कोंग्रेस जी कि रक्ष सजनीतिक संगठन हैं और जिसकी अध्या श्रीमती सीनिया गाँधी रही और अभी है, का रुक समसीता (Mou) चीन की कम्यूनिस्ट पार्टी के द्वारा किया गया है। कृष्मा निन्न कियू पर भारत सरकार की और से जानकारी कराये जाने का कठट करें।

19 km 670

- 1. भारत के अप्रेक्त राजनीतिक संगठन द्वारा चीन की कम्म्रीमेस्ट पार्टी में किए गरू समसीते (MOU) की तिथि क्या है।
- 2. उंपर्युक्त समझीते की जानकारी भारत सरकार कार हुई।
- 3. उपर्युक्त संगठन हारा भारत स्वरकार की जानकारी दी गई भी अधवा नहीं । क्या अभी सरकार के पास अध्यक्त जानकारी रुवं प्रतिनिधि है
- 4. अपूर्वित प्रकार का समझौता किए जाने (अधित भारत का कोई राजनेतिक संगठन किंद्री निर्वेश के किसी राजनेतिक संगठन से समझौता किस नियम। अध्यानियम अधवा किस विधि के अन्तर्भित किथा मार्था है
- उ. बया रेसा (जेसा कि उपयुक्त बिन्दु में अकित है) समझौता और बह भी, सरकार की जमकारी के बिना किया जाना किस प्राक्तिशान के अन्तर्गत सम्भव है। कृष्णा कृष्ति May की प्रतिभी अपनवण क्यों।

आपसे विनम्र अनुरोध है कि उपर्श्वत बिन्दुओं पर अविनम्य जानकारी प्रदान करने की नहपा की आर्थ

हिलोक: 12.11.2020 भा भी आ से पा F 400042

जिल्ल

J.PONG- 47 F 400042-10/-

MEA

29309